डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांकः 01-10-14
संख्याःएफिल/वी0सी0/ 2198

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, भोगॉव, मैनपुरी

विषयः- दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, भोगॉव, मैनपुरी को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब0-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, भोगॉव, मैनपुरी को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

<u>शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं, प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं</u>

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(4) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, भोगॉव, मैनपुरी।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेवसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव